

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/522 /

जबलपुर, दिनांक 10/02/2020

दो-14-90 / 19

श्रीमती विजया दुबे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पुत्री के ब्लोक टीयर डक्ट की सर्जरी कराये जाने हेतु म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38-ग के अनुसार दिनांक 17.02.2020 से 16.05.2020 तक 90 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक C/523 /

जबलपुर, दिनांक 10/02/2020

दो-14-90 / 19

प्रतिलिपि :-

1. ✓ चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती विजया दुबे, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (न्या.-एक)
07.02.2020